(140)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3316–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–8–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 125/अपील/2014–15.

....

मांगीलाल पुत्र फकीरचंद
निवासी ग्राम खुरचनी तहसील हुजूर,
जिला भोपाल

.... आवेदक

विरूद्ध

1–जितेन्द्र आ0 छीतूसिंह
2–बद्रीप्रसाद आ0 छीतूसिंह,
निवासीगण ग्राम खुरचनी तहसील हुजूर,
जिला भोपाल

.........अनावेदकगण

श्री लोकेश भास्कर, अभिभाषक– आवेदक

श्री एच.एस.ए.रिजवी, अभिभाषक–अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 31/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वत्व एवं स्वामित्व की ग्राम खुरचनी तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे कमांक 637 के अंश भाग 0.04 हेक्टेयर पर गुरूबक्श आ0 रामप्रसाद, 0.10 हेक्टेयर पर मांगीलाल आत्मज फकीरचंद व 0.02 हेक्टेयर पर प्रचलित रास्ते पर (संयुक्त रूप से) अवैध कब्जा

पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 3–5–14 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–6–2015 को प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–8–15 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बन्दोबस्त के पूर्व के नक्शे एवं बाद के नक्शे में भिन्नता है यदि बन्दोबस्त के अनुसार नक्शे में संशोधन कर दिया जाता है तब रकबें की पूर्ति हो जायेगी क्योंकि वास्तव में आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है । यह भी कहा कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में प्रश्नाधीन रास्ता सर्वे नम्बर 626 व 645 के मध्य से चलकर नवीन सर्वे नम्बर 637 की सीमा से पूर्व दिशा में मोड़ दिया गया है जिससे आवेदक के रकबे में कमी हुई है। अतः यदि पूर्व बन्दोबस्त के अनुसार नक्शा ही संशोधित कर दिया जाता है तब आवेदक का अवैध कब्जा प्रश्नाधीन भूमि पर नहीं पाया जायेगा । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर उभयपक्ष अपनी अपनी भूमि पर काबिज है, केवल राजस्व रिकार्ड के अक्श में भूमि कम है जिसे संशोधन किया जाना चाहिये, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा होना दर्शाते हुये अवैधानिक आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा सीमांकन कराये जाने पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है और तहसीलदार द्वारा भी विधिवत् जॉच कर एवं साक्ष्य से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा होना प्रमाणित पाया गया है, अतः

उनके द्वारा आवेदक को बेदखल करने का आदेश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर देते हुए आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल करने के निर्देश दिये गये हैं, जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है और तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 3317–पीबीआर/2015 (रामबख्श पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम खुरचनी तहसील हुजूर जिला भोपाल विरूद्ध जितेन्द्र पुत्र छीतूसिंह) एवं निगरानी प्रकरण कमांक 3318–पीबीआर/2015 (मांगीलाल पुत्र फकीरचंद निवासी ग्राम खुरचनी तहसील हुजूर जिला भोपाल विरूद्ध बद्रीप्रसाद पुत्र छीतूसिंह) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर